# ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(6)

## आर0ई0आर0 केश सं0– 222/16–17

## बनफुल देवी बनाम् विनय राय

3-2020

## –: आदेश :–

वर्त्तमान प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदिका बनफुल देवी का कहना है कि मौजा–अमरपुर नं0–755, जमाबंदी नं0–05, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा गत सर्वे जमाबंदी रैयत झरील खेलड़ा, पे0–फिरंगी खेलड़ा के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत झरील खेलड़ा को दो पुत्र महेश गंधर्व एवं पंचम गंधर्व हुए और दोनों का देहांत हो चुका है। आवेदिका बनफुल देवी स्व0 महेश गंधर्व की एक मात्र पुत्री है तथा मौजा–अमरपुर नं0–755, जमाबंदी नं0–05 के जमीन की उत्तराधिकारी एवं दखलकार है। विपक्षी पति–पत्नी है तथा विपक्षी सं0–02 मेरी किस्कू शक्षिका है। मेरी किस्कू द्वारा विपक्षी सं0–01 विनय राय से अंतर जातिय विवाह की है। विपक्षीगण द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 का उल्लंघन करते हुए जमाबंदी एंव अहस्तांतरित जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिया है। आवेदिका द्वारा विपक्षी से अवैध कब्जा किये गये जमीन को खाली कराने का अनुरोध किया गया है। अंत में आवेदिका द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उक्त विवादित भूमि मौजा–अमरपुर नं0–755, जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–109, रकवा–00–01–15 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदिका एवं विपक्षीगण द्वारा एक सुलहनामा आवेदन दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा–अमरपुर नं0–755, जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–109 की जमीन आवेदिका का है। उक्त दाग नं0 की जमीन में से 01 कट्ठा 15 धूर जमीन आवेदिका की मां मो0 भारती देवी के द्वारा ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के समक्ष दिनांक–05.04.2002 को बसोवास के लिए दे दिया है। बाद में आवेदिका बनफुल देवी द्वारा भी दिनांक–08.09.2012 को शपथ पत्र बना दिया गया है। आवेदिका द्वारा गलत फहमी में RER वाद नं0–16/15–16 विपक्षीगण पर दायर किया गया है। अंत में उभय पक्षों द्वारा वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदिका सुलहनामा देने के बाद दिनांक–29.03.2019 से अनुपस्थित चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका को वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गया है। अतः आवेदिका के आवेदन को खारिज किया जाता है।

Recd. 6/3/2020

लिखाया एवं शुद्ध किया।

05.3.2020

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

05.3.2020

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।